

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

जयपुर, दिनांक : 19/9/19

क्रमांक : प. 6(2)राज-6/2001पार्ट

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

विषय:- राजस्थान भू-राजस्व (नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम 2007 के प्रावधानों के तहत आवंटित भूमि का पट्टेदार द्वारा समयावधि में उपयोग नहीं किये जाने पर आवंटन निरस्त करने के संबंध में।

राजस्थान भू-राजस्व (नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम 2007 के तहत आवंटित भूमि पर नवीनीकरणीय ऊर्जा शक्ति संयंत्र स्थापित करने की समयावधि नियम 7 में निर्धारित की हुई है। ऐसी निर्धारित अवधि को राज्य सरकार द्वारा उक्त नियम के तहत बढ़ाये जाने का प्रावधान किया हुआ है। यदि पट्टेदार द्वारा उक्त निर्धारित समयावधि अथवा बढ़ाई गई अवधि में भूमि पर संयंत्र स्थापित करने में विफल रहता है तो इस संबंध में नियम 7 के उप-नियम (2) में प्रावधान है कि:-

“यदि भूमि का उपयोग अनुज्ञात अवधि या उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बढ़ाये गये समय के भीतर नहीं किया जाता है तो भूमि सभी विल्लंगनों से मुक्त राज्य सरकार को प्रतिवर्तित हो जायेगी।”

नियम 2007 में पट्टेदार द्वारा समयावधि में भूमि का उपयोग नहीं करने पर भूमि राज्य सरकार को प्रतिवर्तित होने का स्पष्ट प्रावधान होने पर भी भूमि आवंटन निरस्त करने की स्वीकृति प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाते हैं, जो उचित नहीं है।

अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि पट्टेदार द्वारा भूमि का उपयोग अनुज्ञात अवधि में नहीं किया गया है, उपरोक्त प्रावधानानुसार भूमि राज्य सरकार में प्रतिवर्तित हो जायेगी अर्थात् आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। आवंटित भूमि का कब्जा अनुज्ञात अवधि समाप्त होने के तुरन्त पश्चात ले लिया जाना चाहिए। यदि भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है तो कब्जा ले लिया जाए व भू-अभिलेख में आवश्यक अंकन कर दिखा जाए। भूमि आवंटन निरस्त करने हेतु राजकीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं तहसीलदार को उपरोक्तानुसार आदेश दे सकते हैं। आदेश में आवंटन स्वतः निरस्त होने व आवंटित भूमि राज्य सरकार को प्रतिवर्तित होने का उल्लेख कर सकते हैं।

ds:revenue6@gmail.com

यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि उक्त कार्यवाही किये जाने से पूर्व पट्टेदार को इस संबंध में सूचित किया जाये। यदि भूमि के उपयोग की अवधि विस्तार के लिये पट्टेदार द्वारा आवेदन किया गया है तो किसी भी स्तर पर अवधि विस्तार के संबंध में प्रकरण विचाराधीन तो नहीं है, इसकी सुनिश्चिता के उपरांत ही कार्यवाही की जाये।

साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवंटी द्वारा भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञात अवधि तक लीज राशि का भुगतान राज्य सरकार को कर दिया गया है। यदि कोई राशि आवंटी से ली जानी शेष हो तो उसकी वसूली हेतु पृथक से कार्यवाही की जाए।

इस प्रकार की कार्यवाही इन नियमों के तहत आवंटित समस्त भूमियों हेतु अमल में लाई जाए।

भवदीय,

२५/२/१७

(संजय मल्होत्रा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी, मा० मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा० राजस्व मंत्री।
3. निजी सचिव, समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव.....
4. समस्त सार्वजनिक आयुक्त, राजस्थान।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. निदेशक, जनसम्पर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
7. सचिव, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

—sd—
शासन उप सचिव